भारत सरकार

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः †579

उत्तर देने की तारीख 03 दिसंबर, 2025 (बुधवार)

12 अग्रहायण, 1947 (शक)

प्रश्न

उत्तर-पूर्व आर्थिक गलियारा परियोजना

†579. सुश्री कंगना रनौतः
श्री दिलीप शइकीयाः

क्या **उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्षेत्रीय व्यापार संपर्क को बढ़ाने के उद्देश्य से उत्तर-पूर्व आर्थिक गलियारा परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) पीएम-डिवाइन योजना के अंतर्गत शेष सभी अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं के समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या हिमाचल प्रदेश सहित उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की दीर्घकालिक बाढ़ नियंत्रण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोई नई व्यापक योजना शुरू की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) संपर्क से जुड़ी परियोजनाओं की गुणवत्ता और प्रगति की दूरस्थ निगरानी करने के लिए नई प्रौद्योगिकियों का किस प्रकार उपयोग किया जा रहा है?

उत्तर

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) दिसंबर, 2024 में अगरतला में आयोजित की गई पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी) की 72वीं प्लेनरी बैठक में बनी सर्वसम्मति के अनुसरण में उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय ने आठ उच्च-स्तरीय टास्क फोर्स (एचएलटीएफ) बनाए हैं, जिनमें से प्रत्येक का प्रतिनिधित्व किसी पूर्वोत्तर राज्य के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। उत्तर-पूर्व आर्थिक गलियारा (एनईईसी) संबंधी उच्च स्तरीय कार्यबल के संयोजक मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं, जिसमें केंद्रीय उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री और असम, मेघालय और मणिपुर के मुख्यमंत्री सदस्य हैं। उत्तर-पूर्व आर्थिक गलियारा संबंधी उच्च-स्तरीय टास्क फोर्स के अधिदेश में, अन्य बातों के साथ-साथ, पूर्वोत्तर क्षेत्र में मौजूदा आर्थिक अवसंरचना और निवेश इकोसिस्टम का आकलन; कमियों की पहचान और इस क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए कार्यनीति बनाना शामिल है। उत्तर-पूर्व आर्थिक गलियारा संबंधी उच्च-स्तरीय टास्क फोर्स की तीन बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं।

(ख) पीएम-डिवाइन स्कीम के तहत मंज़ूर की गई परियोजनाओं को राज्य सरकारों की संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा निष्पादित किया जाता है और इन परियोजनाओं की निगरानी की मुख्य ज़िम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों/कार्यान्वयन एजेंसियों की होती है। तथापि, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा परियोजनाओं की निगरानी फील्ड टेक्निकल सपोर्ट यूनिट्स (एफटीएसयू), परियोजना गुणवत्ता निगरानी (पीक्यूएम) और थर्ड-पार्टी तकनीकी निरीक्षण एजेंसियों (टीपीटीआई) के ज़रिए और समीक्षा बैठकों के दौरान भी की जाती है।

(ग) बाढ़ प्रबंधन और कटाव-रोधी स्कीमें संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उनकी प्राथमिकता के अनुसार बनाई और लागू की जाती हैं। केंद्र सरकार राज्य सरकारों के प्रयासों में मदद करती है। बाढ़ प्रबंधन के संरचनात्मक उपायों को मज़बूत करने के लिए केंद्र सरकार ने XI और XII योजनाओं के दौरान बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एफएमपी) लागू किया ताकि राज्यों को बाढ़ रोकथाम, कटाव रोकने, निकासी विकास, समुद्री कटाव रोकने आदि से जुड़े कार्यों के लिए केंद्रीय सहायता दी जा सके, यह बाद में वर्ष 2017-18 से वर्ष 2020-21 तक की समय अवधि के लिए बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी) के एक हिस्से के तौर पर एक केंद्र प्रायोजित स्कीम के रूप में जारी रहा और इसे वर्ष 2025-26 तक बढ़ाया गया। इसके अलावा, पिछले 10 वर्षों में, पूर्वोत्तर परिषद और अव्यपगत केंद्रीय संसाधन पूल (एनएलसीपीआर) की स्कीम के तहत, पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ रोकथाम/कटाव रोकने से जुड़े 345.74 करोड़ रुपये की 24 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

(घ) स्वीकृत अवसंरचना परियोजना को बेहतर आयोजना के लिए पीएम गति शक्ति पोर्टल पर डाला गया है। पूर्वोत्तर परिषद और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के अधिकारी साइट विज़िट और निरीक्षण करके ज़मीनी स्तर पर निगरानी करते हैं। इसके अलावा, पीक्यूएम, टीपीटीआई और एफटीएसयू को शामिल करके थर्ड पार्टी गुणवत्ता रोकथाम की जाती है।

*****